मध्यप्रदेश शासन

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल

जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां

म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन

वेटलैंड्स

वेटलैंडस के लिये हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में अनेकों शब्द है जो वेटलैंड्स को भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, विविधता, उद्गम, उसके आकार, गहराई, उसके जल स्त्रोत के आधार पर और उपयोग को भी दर्शाते है। वनों को प्राय: धरती का फेफड़ा कहा जाता है, इसी आधार पर वेटलैंड्स को धरती के लिए गुर्दे कह सकते हैं। हम अपने आसपास इन वेटलैंड्स को छोटे-बड़े तालाब, सागर पोखर, झील, ताल, आगर, पुष्कर के रूप में देख सकते है।

वेटलैंड्स हमारे उपयोग लायक पानी का एक बड़ा स्त्रोत होने के साथ-साथ बाढ़ को बचाने में भी सहायता करते हैं। वेटलैंड्स का मानव सभ्यता, संस्कृति और जैव विविधता को समृद्ध करने में बड़ा योगदान है। यही वजह है कि धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं, लोक परंपराओं, साहित्य, कहानियों, कविताओं में पानी, तालाब, पोखर, नदी इत्यादि का वर्णन मिलता है।

वेटलैण्ड्स का वैज्ञानिक तात्पर्य नमी वाले उन क्षेत्र या भू-भाग से है जहां पूरे वर्ष या कुछ महीनों में पानी रहता है। वेटलैंड ऐसा भू-भाग है, जहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र का बड़ा हिस्सा स्थाई रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त (सेचुरेटेड) हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधे बाहुल्य मात्रा में रहते है और यही वेटलैंडस को परिभाषित करता है। जैवविविधता की दृष्टि से वेटलैंड अंत्यंत संवेदनशील होते हैं। वेटलैंड्स में मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान, नदी, तालाब, झील, पानी से भरे जंगल, धान के खेत सहित वह सारे स्थान शामिल हैं जहां वर्ष के अधिकांश समय में पानी भरा रहता है। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालीन आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर अथवा प्रवाहमान जल, स्वच्छ जल अथवा अस्वच्छ, लवणीय, मटमैला जल- इन सभी प्रकार के जल वाले स्थल वेटलैंड कहलाते हैं। समुद्री जल, जहाँ गहराई छः मीटर से अधिक नहीं हो, भी वेटलैंड कहलाता है।

अध्ययन बताते है कि 1970 के बाद दुनिया के लगभग 35% वेटलैंड्स विलुप्त हो गए। भारत में एक तिहाई वेटलैंड्स शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार के कारण समाप्त हो गए हैं। शहरों के आसपास कचरे से वेटलैंड्स को खतरा बना रहता है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से भी जलीय जीवन खतरे में है।वेटलैंडस के अस्तित्व के लिये सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन भी है ।

रामसर संधि (Ramsar Convention)

रामसर संधि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंडस, विशेषकर जल प्रवासी पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक संधि (convention) है। 02 फरवरी वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में यह संधि हुयी थी तथा 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आयी । भारत सरकार द्वारा इस संधि पर वर्ष 1982 में हस्ताक्षर किये गये। वेटलैंड के शाशवत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने से संबंधित इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्त्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। 172 देशों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किये गये है। वर्तमान में भारत के 75 वेटलैंडस इस संधि के अंतर्गत शामिल हो चुके है। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल का भोज वेटलैंड (बड़ा एवं छोटा तालाब) वर्ष 2002 से प्रदेश की पहली रामसर साईट है। यह गौरव का विषय है कि इतने वर्षों के अंतराल के बाद हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी के अंतर्गत साख्य सागर, इन्दौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब म. प्र. में चार रामसर साइट हो गये है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वेटलैण्ड्स को भी रामसर साइट का दर्जा दिलाने हेतु प्रयास जारी हैं।

वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017

तालाबों के संरक्षण एवं एनके अस्तित्व को निरंतर बनाये रखने के उद्देश्यो से भारत शासन द्वारा समय-समय पर वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 1203(अ) दिनांक 26.09.2017 द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 जारी किये गये हैं। यह नियम रामसर साइट के अंतर्गत अधिसूचित वेटलैण्ड्स तथा केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले वेटलैण्ड्स पर लागू होंगे।

नियमों में अधिसूचित वेटलैण्ड्स में प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची नियम क्रमांक 4 में दी गयी हैं। नियम 5 (1) में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की शक्तियों तथा दायित्वों का विवरण नियम 5 (4) में दिया गया है। नियम के

अंतर्गत प्रदेश में स्थित सभी वेटलैण्ड्स की सूची तैयार कर चिन्हित वेटलैंडस को नियम अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है ताकि नियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम के नियम 5 (1) अनुसार राज्य शासन द्वारा जनवरी 2018 में मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया है। नियमानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय पर्यावरण मंत्री जी म.प्र. शासन एवं उपाध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय म.प्र. शासन हैं। संबंधित विभागों के भारसाधक सचिव पदेन सदस्य है। कार्यपालन संचालक, एप्को को पदेन सदस्य सचिव राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एवं नियम 5 (5) के अनुसार पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, एप्को को सचिवालीन सेवाये प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत 08 विषय विशेषज्ञ को नामांकित किया गया है। प्राधिकरण के अन्य प्रकरणों के निवारण हेतु तकनीकी एवं शिकायत समिति गठित है। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की विस्तृत जानकारी http://swa.mp.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वेटलैंड नियम 2017 अनुसार म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के मुख्य दायित्व है-

a) राज्य में स्थित समस्त जलीय स्त्रोतों/वेटलैंडस को डिजिटल सूची तैयार करना एवं वेटलैंड नियम के अंतर्गत अधिसूचित करने वाले वेटलैंड की सूची तैयार करना ।

b) सम्बंधित विभागों से समन्वय कर वेटलैंडस एवं Zone of Influence में Permitted एवं Regulated गतिविधियों की सूची तैयार करना।

c) सम्बंधित विभागों को वेटलैण्ड्सै के संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु तकनीकी सहयोग देना।

d) प्रदेश के अधिसूचित वेटलैंडस एवं रामसर साईट पर वेटलैंड नियमों के नियमन/ परिपालन हेतु राज्य की सभी संबधित संस्थाओं, एजेंसियों एवं विभागों से परस्पर समन्वय ।

e) प्रदेश के वेटलैंडस को रामसर साईट के रूप में Designate करने के लिए प्रयास करना।

f) प्रदेश के वेटलैंडस के संरक्षण एवं 'Wise Use' के लिए रणनीति तैयार करना तथा अधिसूचित वेटलैंडस के संरक्षण एवं प्रबंधन प्लान तैयार कर क्रियान्वित करना।

g) वेटलैंडस के संरक्षण एवं समन्वित प्रबंधन हेतु समय समय पर निर्देश जारी करना तथा प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम करना।

h) भारत सरकार की वेटलैंड संरक्षण योजना (National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem) के अंतर्गत परियोजना तैयार करना।

जिला वेटलैंड संरक्षण समिति (DWCC)

उद्देश्य एवं संरचना

हमारे देश में विशेषकर मध्यप्रदेश में जल स्त्रोतों, तालाबों को संरक्षित करने का कार्य परंपरागत रूप से समाज एवं समुदाय आधारित रहा है। सभी अंचलों और क्षेत्रों में समुदाय आधारित जल संरक्षण के अनेकों अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जल स्त्रोतों के कार्यों में स्थानीय समाज, जिला शासन-प्रशासन को भी भागीदार बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने जिला वेटलैंड संरक्षण समिति का गठन किया है।

तालाबों एवं जल स्त्रोतों को बचाने एवं संरक्षित करने हेतु जिला स्तर भी स्थानीय जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं जन भागीदारी एवं आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कई जिलों में सजग नागरिक संगठनों एवं पर्यावरण कार्यकर्ता तालाबों की पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति मीडिया एवं अन्य माध्यमों से ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। जिलों की आवश्यकता को देखते हुये म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग ने आदेश क्रमांक/262/234/2022/32-3 भोपाल दिनांक 09.03.2022 से मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जिला वेटलैंड समितियों का गठन किया गया था म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग ने आदेश क्रमांक 784/234/2020/32-3 दिनांक 26.8.22 से संशोधित आदेश जारी किया गया है।

समिति की संरचना

1.	संबंधित जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला वन मंडल अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	सदस्य सचिव
4	आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद (नगरीय क्षेत्रों हेतु)	सदस्य सचिव
5.	जिला भू-बंदोबस्त अधिकारी	सदस्य
6.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री, लोक.स्वा. या.	सदस्य
7.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/ सहायक यंत्री, जल संसाधन निर्माण विभाग	सदस्य
8.	संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग	सदस्य
9.	संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
10.	संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, मछली पालन विभाग	सदस्य
11.	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
12.	समिति के अध्यक्ष द्वारा नदी तालाब संरक्षण से संबंधित इसके विशेषज्ञ उदाहरणार्थ (महाविद्यालय के प्रोफेसर/जनता के प्रतिनिधि, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित नागरिक गण इत्यादि)	नामांकित सदस्य (अधिकतम - 02 सदस्य)
13.	म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को, पर्यावरण विभाग भोपाल के अधिकारी	सदस्य

जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति

कर्त्तव्य/दायित्व

1. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगी एवं उसकी सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करेगी।
2. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में वेटलैण्ड नियम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को सहयोग प्रदान करेगी।
3. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का मुख्य कर्तव्य जिला स्तर पर तालाबों के समग्र संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्यवाही करना है।
4. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में म. प्र. सरकार एंव केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में वेटलैण्ड संरक्षण से संबंधित संचालित योजनाओं यथा NPCA एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का सहयोग करेगी।
5. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के किसी तालाब के संरक्षण एंव प्रबंधन से संबंधित सुझाव एवं तकनीकी प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित कर सकेगी।
6. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अथवा स्वयं अपने स्तर पर चिन्हित किसी तालाब के संक्षिप्त प्रतिवेदन (Brief Document) बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।
7. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, अपने जिले के तालाबों के संबंध में समस्त जानकारी एकत्र करेगी एवं डेटाबेस तैयार कर उसके संधारण के लिए उत्तरदायी होगी।
8. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में चिन्हित डिजिटल वेटलैण्ड इन्वेन्ट्री के अनुसार जिले में चिन्हित तालाबों की पहचान एवं उसकी मैदानी स्तर पर पुष्टि हेतु उत्तरदायी होगी।
9. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तालाबों की सूची बनायेगी एवं उसके पारिस्थितिकीय लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु सतत् प्रयास एवं उपाय करेगी।
10. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले के तालाबों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु उपस्थित चुनौतियों का चिन्हांकन करेगी एवं उनके निराकरण हेतु प्रयास करेगी एवं उपाय सुझाएगी।

11. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, जिले में तालाबों के संरक्षण से जुड़े संबंधित विभागों एवं हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी।

12. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु अपने जिले से संबंधित सलाह एवं परामर्श देने का कार्य करेगी।

13. जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, वेटलैण्ड, तालाबों, नदी एवं अन्य जल स्रोतों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विषयों पर व्यापक जन-चेतना, नागरिक जागरूकता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु समय-समय पर विश्व वेटलैण्ड्स दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस इत्यादि विशेष अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगी।

14. जिला कलेक्टर द्वारा जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति, में विशिष्ट परिस्थिति में आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्यों के लिए अन्य विशेषज्ञों को अपने विवेक से मनोनीत कर सकेंगे।

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना वर्ष 1981 में म.प्र. शासन के पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई थी। एप्को पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्यों में राज्य सरकार की प्रमुख संस्था है। महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन, एप्को के अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, एवं माननीय मंत्री जी, पर्यावरण विभाग, एप्को के उपाध्यक्ष हैं। प्रमुख सचिव,पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन एवं एप्को के महानिदेशक शासी परिषद के अध्यक्ष हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को के कार्यकारी प्रमुख हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एक अभिनव संगठन है, जिसने लगभग 40 वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे विकास एवं पर्यावरण समस्याओं और उसके निदान व जागरूकता के प्रति शासन एवं समाज का ध्यान केन्द्रित किया है। वेटलैण्ड नियम 2017 के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जनवरी 2018 में म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी पर्यावरण विभाग एवं उपाध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय म. प्र. शासन हैं। एप्को राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है।

सम्पर्क

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड् प्राधिकरण

पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016
दूरभाष-(0755)2460038, 2466859
ईमेल- mpswaepco@mp.gov.in/mpswa.epco.gov@gmail.com
वेबसाइट- www.swa.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन/2022